कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा |
Email: cfkumaon\_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax: 230397
पत्रांक - | ○ 3 | / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, | 2 | ○ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद— पिथौरागढ़ में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत राईआगर मोटर मार्ग से भूल की अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/29012/2017।

सन्दर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र संo 08 बी/यूoसीoपीo/06/126/2018/एफoसीo/ 192 दिनांक 17.05.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1735/12-1 दिनांक 04.10.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा - ULT 2023

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 2 05964- 225234

सेवा में

पत्रॉकः 1735/12-1

दिनांक,

पिथौरागढ़, 🕜 4 – / 0– , 2023 l

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,

उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :--

जनपद पिथौरागढ़ में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अंतर्गत राईआगर चौड़मन्या मोटर मार्ग से भूल की अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017.

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0

08बी / यू०सी०पी / 06 / 126 / 2018 / एफ0सी0 / 192, दिनांक 17.05.2022।

महोदय.

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार निराकरण कर अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ग्०सं०	आपत्तिया	
1.	State govt is required to submit the revised CA scheme.	टिप्पणी संशोधित सी०ए० स्कीम संलग्न कर प्रेषित है।
2.	Stare govt is requested to provide the following information-	
a.	Whether the proposed alignment is as per which the diversion area and trees affected were calculated based on ground survey and whether such alignment was demarcated on ground? If yes following details are required to be provided.  Whether the tree felling and road works.	समरेखन के पानण ने नाम
	ground?	समरेखन के प्रारम्भ से लगभग 400 मी0 दूरी प नाप भूमि अन्तर्गत प्रस्तावित समरेखन में परिवर्त है। इसके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण मार्ग का निर्मा निर्धारित उसी समरेखन में किया गया है जिस
ii.	The reason for the shift in KML?	वृक्षों का छपान / पातन किया गया था। समरेखन के प्रारम्भिक बिन्दु से 400 मी० दूरी प्र मोटर मार्ग का समरेखन सोपस्टोन माईनिंग क्षेत्र से प्रस्तावित होने के कारण उक्त समरेखन भविष्य हेतु सुरक्षित न होने के कारण उपजिलाधिकारी बेरीनाग के आदेशानुसार समरेखन में परिवर्तन किया गया है। शिफ्ट किरे गये समरेखन में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हुआ है
iii.	The details of the length, breadth and total area in which the road construction has been carried out in the forest area vis-à-vis the actual area diverted for the said purpose is required to be submitted.	प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिवित भूमि तथा वन पंचायत की भूमि से 4.54 किमीत लम्बाई में तथा 9.00 मी० चौड़ाई में वन भूमि अधिग्रहण की गरी है। तथा मार्ग कटिंग कार्य
b.	If no, a detailed report on violation and the action taken by the forest department may be provided.	किया गया है।

3. Further at the locations indicated on the KML for muck dumping, no muck dumping is observed, hence the DFO is requested to inspect and provide the site inspection report providing information of the locations where muck dumping was carried out.

प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि रोड कटिंग के दौरान निकला अधिकतर मलवा सड़क निर्माण में ही उपयोग कर लिया गया। तथा शेष मलवा मलवा निर्धारित निस्तारण स्थल पर ही डाला गया है।

संलग्न:- यथोक्त।

र्स मोहन दगाड़े) प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, ब्रिडकुल, बेरीनाग।

प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।